राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ 7(4)परि / रूल्स / एच.क्यू. / 2015 / 5492 जयपुर, दिनांक : 01.04.2015

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28 की उप–धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 10 दिवस के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 3(ख) दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 20.03.2015 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 28 की उप–धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2.22 का संशोधन.–** राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.22 में, विद्यमान उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"(3) महिला आवेदक की दशा में, प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति और चालन अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने के लिए विहित फीस की पचास प्रतिशत रकम की छूट दी जायेगी।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव

सं. एफ 7(4)परि / रूल्स / एच.क्यू. / 2015 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 01.04.2015 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. अपर परिवहन आयुक्त, ...(समस्त) जोन।
11. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी........................समस्त।
12. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(4)Pari/Rules/H.Q./2015/5492 Jaipur, Dated : 01.04.2015

Notification

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 28 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary part 3(Kha) dated 20.03.2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 10 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 20.03.2015.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 28 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.22.- In rule 2.22 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, after the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (3) shall be added, namely:-

"(3) In case of woman applicant, fifty percent amount of fee prescribed for issuance of learner's licence and driving licence shall be exempted."

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Jt. Secretary to the Government

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./2015/5493-5506 Jaipur, Dated: 01.04.2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 01-04-2015 and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Transport Commissioner and Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Law (Codification) Department, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. All Additional Transport Commissioner, Zone.
11. Shri Sanjay Singhal, A.C.P. for updating departmental website.
12. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.
13. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
14. Guard file.

Jt. Secretary
to the Government